रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 2007/चैत्र 13, 1929
No. 90] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2007/CHAITRA 13, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2007

सं. 10(3)/2007-डी.बी.ए.-II/एन.ई.आर.—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 23 जुलाई, 1971 की अधिसूचना सं. 6/26/71-आई.सी. में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-

1. "प्रारंभ तथा अवधि" शीर्षक के तहत पैरा-2 में मौजूदा पैरा के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए :-

"इस योजना को अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, केन्द्र शासित क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के लिए 1 अप्रैल, 2007 से वर्तमान में लागू समान शर्तों और नियमों के अनुसार और आगे बढ़ाया जाता है । तथापि संभावित चोरी और दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक संरक्षात्मक उपाय करने के उद्देश्य से शीघ्र ही इस योजना का मूल्यांकन किया जाएगा ।"

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2007

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.—The Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Industrial Development Notification No. 6/26/71-IC, dated the 23rd July, 1971, as amended from time to time.

1. In para 2, under the heading 'Commencement and Duration', the following may be added at the end of the existing para :—

"The Scheme is further extended from 1st April, 2007 for the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Darjeeling District of West Bengal, Union Territories of Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep, on the same terms and conditions as applicable at present. However, an early evaluation of the scheme will be carried out with a view to introducing necessary safeguards to prevent possible leakages and misuse."

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

1953 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.